समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

विज्ञप्ति संख्या-01/2026

जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मुल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आम सूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-3223, दिनांक-21.07.2022 एवं पत्रांक-1663/,खाद्य दिनांक-08.04.2023 तथा कार्यवाही ज्ञापांक-3425, दिनांक-30.06.2026 के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 में निहित प्रावधान तथा विभागीय पत्रांक-2733, दिनांक-02.06.2026 **के तहत्** मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अनुमंडल मधेपुरा क्षेत्रान्तर्गत के प्रखंड मधेपुरा, घैलाढ़, गम्हरिया, सिंहेश्वर, शंकरपुर, मुरलीगंज, कुमारखंड, नगर परिषद मधेपुरा, नगर पंचाायत मुरलीगंज, नगर पंचायत सिंहेश्वर तथा उदाकिशनुगंज अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत के प्रखंड ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, उदाकिशुनगंज, पुरैनी, चौसा, आलमनगर, नगर परिषद, उदाकिशुनगगंज, नगर पंचायत-बिहारीगंज एवं नगर पंचायत, आलमनगर में विभिन्न कोटि के रिक्त पदों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-14396 दिनांक-10.09.2024 के आलोक में अनुमोदित रोस्टर के अनुरूप जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान को भरने हेतु संबंधित गामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के वार्ड के निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

01. **आवेदन पत्र जमा करने की तारीखः-** व्यक्ति विशेष से विहित प्रपत्र अनुसूची-01 में, तथा स्वयं सहायता समुह समूह, /महिलाओं के सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित प्रपत्र अनुसूची-02 में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के अनुमंडल कार्यालय में कार्य अवधि 10:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 बजे अपराह्न तक कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। **आवेदन स्वयं** अथवा निबंधित डाक से जमा कराया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद (स्वयं अथवा डाक से) प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई बिचार नही किया जायेगा। अनुमंडल कार्यालय द्वारा आवेदनकर्त्ता को पावती रसीद दी जायेगी, जिसपर आवेदन क्रमांक संख्या प्राप्त करने वाले कर्मी का पूर्ण नाम/हस्ताक्षर/पदनाम अंकित होगा। आवेदन जमा करने के लिए कोई शुल्क देय नही है।

02. **शैक्षणिक योग्यताः-आवेदन भरने हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास और वयस्क होना चाहिए, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने के उपरांत जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति का आवंटन निम्नवत् प्राथमिकताओं के आधार पर की जायेगीः-**

(i) शैक्षणिक योग्यता में Qualification को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ii) Qualification में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) Qualification एवं प्राप्तांक में समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

03. **अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता प्रदान की जायेगीः-**(क)स्वयं सहायता समूह (ख) महिलाओं की सहयोग समितियॉ (ग) पूर्व सैनिक की सहयोग समितियॉ (घ) शिक्षित बेरोजगार (इ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

04. अनुज्ञप्ति पॉच वर्षो के लिए निर्गत की जायेगी।

05. **निम्नांकित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नही की जायेगीः**-(i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र पुत्रवधु और सौतेला भाई पारिवार के परिभाषा में आयेंगे

(ii) मुखिया, सरपंच, पंच ,वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqulified) रहेगे।

(iii) आटा चक्की के मालिक एवं उनके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी।

(iv) अवस्यक या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी।

(v) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम-10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामलों में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नही की जायेगी।

(vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी।

06. **चयन की प्रक्रियाः-** सभी प्राप्त होने वाले आवेदनों की प्रारंभिक जाँच की जाएगी तथा सभी आवेदनों को दी गई प्राथमिकता तथा शर्त्तो के आधार पर रिक्त स्थानों के अनुसार आवेदनों का प्राथमिकता निर्धारण किया जाएगा। प्राथमिकता के क्रम के अनुसार ही उक्त आवेदनों में दर्ज **स्थल/गोदाम/प्रमाण पत्र** ईत्यादि की जाँच की जाएगी। जॉचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों की रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपवंधिक मेघा सूची जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधित मेघा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशन करेगें। प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर असंतुष्ट आवेदक जिला आपूति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्ति समर्पित करेगें। दावा/आपत्ति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक प्राप्त दावा आपत्ति का विधि सम्मत निष्पादन करते हुए जिलास्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक दावा आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जायेगी। जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक के उपरांत अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

अंतिम मेघा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरूद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्य के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेगें। प्रमंडलीय आयुक्त रिक्ति वार प्राप्त परिवादों का प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर एक साथ निष्पादन करेगें। निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेघा सूची के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्तके समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो तो अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेगें, परन्तु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद नियमानुकूल अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

आवेदन प्राप्ति की तिथि से लेकर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन तिथि वार विवरण निम्नवत् हैः-

- **आवेदन करने की निर्धारित तिथिः-** 30.07.2026 से 13.08.2026 तक
- **औपबंधिक मेधा सूची तैयार करने की निर्धारित तिथिः-** 14.08.2026 से 18.08.2026 तक
- **औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशन करने की निर्धारित तिथिः-** 19.08.2026
- **दावा/आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित तिथिः-** 20.08.2026 से 03.09.2026 तक
- **दावा/आपत्ति निष्पादन करने की अंतिम तिथिः-** 04.09.2026 से 08.09.2026 तक
- **अंतिम मेधा सूची प्रकाशन करने की तिथिः-** 11.09.2026

07. अनुमंडल मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण/शहरी का पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली दुकानों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ निम्न प्रकार हैः-

क्र0	अनुमंडल का नाम	प्रखंड/ नगर निकाय का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति महिला	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़े वर्गो की महिलाऐं	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग महिला	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित महिला	दिव्यांग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मधेपुरा	मधेपुरा	सहुगढ़-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2			सहुगढ़-2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
3			बालम गढ़िया	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

क्र सं	अनुमंडल का नाम	प्रखंड/ नगर निकाय का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति महिला	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़े वर्गों की महिलायें	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग महिला	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित महिला	दिव्यांग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	मधेपुरा	मधेपुरा	खौपेती तुनियाही	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
5			सकरपुरा बैतोना	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
6			महेशुआ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
7			धुरगॉव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8			मुरहो	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9		सिंहेश्वर	मानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10			सुखासन	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11			जजहट सबैला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
12			पटोरी	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
13			लालपुर सरोपट्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
14			ईटहरी गहूमनी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15		गम्हरिया	बभनी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
16		मुरलीगंज	हरिपुर कला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
17			रघुनाथपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
18			दीनापटी सुखआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
19			नाढ़ी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20			भतखोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
21			जोरगामा	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22		शंकरपुर	गिद्धा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
23			मौरा कबियाही	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
24			रामपुरलाही	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
25		कुमारखंड	टेंगराहा सिकियाहा	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26			रौता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
27			रहटा	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28			लक्ष्मीपुर चंडीस्थान	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
29			कुमारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30			परमानंदपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
31			लक्ष्मीपुर भगवती	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
32			मंगरवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
33			ईसराईन बेला	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34			ईसराईन कला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
35			इसराईन खुर्द	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
योगः-				5	2	1	0	7	2	0	0	2	4	0	14	7	0	44

क्र0	अनुमंडल का नाम	प्रखंड/ नगर निकाय का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति महिला	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़े वर्गों की महिलायें	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग महिला	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित महिला	दिव्यांग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	मधेपुरा	न0प0 मधेपुरा	वार्ड नं0-01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37			वार्ड नं0-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
38			वार्ड नं0-16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39			वार्ड नं0-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
40			वार्ड नं0-22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			योगः-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5
41	अनुमंडल मधेपुरा	न0 पंचायत मुरलीगंज	वार्ड नं0-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
42			वार्ड नं0-09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
43			वार्ड नं0-10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
44			वार्ड नं0-11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45			वार्ड नं0-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			योगः-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6
46	अनुमंडल मधेपुरा	न0 पंचायत सिंहेश्वर	वार्ड नं0-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
47			वार्ड नं0-03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
48			वार्ड नं0-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
49			वार्ड न0-05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
50			वार्ड न0-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
51			वार्ड न0-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
			योगः-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	6
52	अनुमंडल उदाकिशुनगंज	बिहारीगंज	मोहनपुर	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
53			लक्ष्मीपुर लालचंद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
54		उदाकिशुनगंज	मंजौरा	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55			नया नगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
55			शहजादपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
56		ग्वालपाड़ा	रेशना	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
57			पीरनगर	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
58			विषवाड़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
59		आलमनगर	विषपट्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
60			बसनवाड़ा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
61			ईट्हरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
62			गंगापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
63		चौसा	पैना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
64			घोषाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
65		पुरैनी	नरदह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
66			पुरैनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		योगः-		1	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	8	4	0	19

क्र0	अनुमंडल का नाम	प्रखंड/ नगर निकाय का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति महिला	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	पिछड़े वर्गों की महिलायें	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग महिला	गैर आरक्षित	गैर आरक्षित महिला	दिव्यांग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	अनुमंडल उदाकिशुनगंज	नगर परिषद उदाकिशुनगंज	वार्ड नं0-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
68			वार्ड नं0-03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
69			वार्ड नं0-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
70			वार्ड नं0-07	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
71			वार्ड नं0-08	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
72			वार्ड नं0-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
73			वार्ड नं0-14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
74			वार्ड नं0-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
75			वार्ड नं0-19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
76			वार्ड नं0-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
77			वार्ड नं0-24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
78			वार्ड नं0-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
79			वार्ड नं0-26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			योगः-	2	1	0	0	1	1	1	1	0	2	0	3	2	0	14
80	अनुमंडल उदाकिशुनगंज	नगर पंचायत बिहारीगंज	वार्ड नं0-03	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
81			वार्ड नं0-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
82			वार्ड नं0-07	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
83			वार्ड नं0-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
84			वार्ड नं0-14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			योगः-	0	0	0	0	1	0	1	-	1	0	0	1	1	0	5
85	अनुमंडल उदाकिशुनगंज	नगर पंचायत आलमनगर	वार्ड नं0-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
86			वार्ड नं0-08	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
87			वार्ड नं0-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
88			वार्ड नं0-17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
89			वार्ड नं0-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
90			वार्ड नं0-21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			योगः-	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6
			सर्वयोगः-	12	7	3	0	13	3	2	1	4	10	0	33	17	0	105

08. दिव्यांग- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में मधेपुरा अनुमंडल ग्रामीण क्षेत्र हेतु **दिव्यांगजनों के आरक्षण के अन्तर्गत 01 पद बहुदिव्यांगता, के लिए एवं उदाकिशनुगंज अनुमंडल ग्रामीण क्षेत्र हेतु 01 पद अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता** के लिए अनुमान्य है।

09. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के तहत् महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के तहत् स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियुक्ति में नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

उपरोक्त कोटिवार पी0डी0एस0 रिक्ति की विस्तृत विवरणी जिला website- www. madhepura.bih.nic.in तथा अनुमंडल कार्यालय मधेपुरा सदर/उदाकिशुनगंज के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की गई है जिसे देखा जा सकता है।

नोटः- आवेदन के लिए अन्य शर्त्त निम्न प्रकार हैः-

1. जिन आवेदक के द्वारा पूर्व में इस संबंधित विहित प्रपत्र में अनुमंडल कार्यालय या जिला कार्यालय में आवेदन जमा किया गया है उन आवेदनो को निरस्त किया जाता है। उन आवेदको को भी पुनः नये सिरे से विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित अनुमंडल कार्यालय में देना होगा।

2. पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलायें शामिल मानी जायेंगी।
3. यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नही हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इस पिछ्ड़े वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।
4. चयनित दुकानों के लिए पोषण क्षेत्र निर्धारित है। चयनित दूकानों को केवल पोषण क्षेत्र के पंचयाय या वार्ड में कार्य करना होगा। पोषण क्षेत्र की जानकारी अनुमंडल कार्यायल के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। आवश्यकता अनुसार दुकान/गोदाम का स्थल परिवर्तन किया जा सकता है।
5. व्यक्ति/समुह के द्वारा केवल एक ही आवेदन दिया जायेगा। एक से अधिक पंचायत/वार्ड में आवेदन करने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन करने पर प्रथम आवेदन को मान्य किया जायेगा तथा शेष आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र के साथ अपना दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) संलग्न करना होगा, जिसमे से एक फोटो आवेदन–पत्र पर सबसे उपर दाँये कोने में चिपकाना होगा। जिसपर आवेदक का हस्ताक्षर अंकित होगा।
7. रिक्ति जिस कोटि के लिए आरक्षित है, आवेदन केवल उसी कोटि का प्राप्त किया जायेगा। आवेदक अपनी कोटि का उल्लेख आवेदन करेंगे एवं अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रामणित छाया प्रति संलग्न करेंगें।
8. स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाये तथा सामान्य) के रहेगें तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलायों /पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियॉ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग मे की जायेगी।
9. आवेदक खाद्यान्न भंडारण हेतु जगह से संबंधित ब्यौरा (यथा–मौजा, खाता, खेसरा, रकवा, चौहदी) देगें एवं भंडारण हेतु मकान का प्रकार (पक्का/ छतदार/ कच्चा/ खपरा/ एसवेस्टस/भूतल की स्थिति) तथा आकार का जिक्र (लम्बाई, चौड़ाई, उचांई–फीट में) आवेदन में निश्चित रूप से करेगें। गोदाम तक आवागमन (कम से कम ट्रेक्टर जाने योग्य) हेतु रास्ता होना आवश्यक है। गोदाम तथा गोदाम से जोड़ने वाले सड़क का फोटोग्राफ भी लगायेगें।
10. आवेदक अथवा नजदीकी सगे संबंधी के पास आटा चक्की मिल नही है, इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. **निम्नांकित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नही की जायेगीः**–(i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी। **पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र पुत्रवधु और सौतेला भाई पारिवार के परिभाषा में आयेंगे**

    (ii) मुखिया, सरपंच, पंच ,वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqulified) रहेगे।

    (iii) आटा चक्की के मालिक एवं उनके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी।

    (iv) अवस्यक या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी।

    (v) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) के अधीन अथवा अन्य अपराधिक मामलो में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नही की जायेगी।

    (vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नही की जायेगी।

    आवेदक इस आशय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न करेगें कि उनके परिवार के कोई भी नजदीकी सदस्य (पिता /माता /पत्नी /पति /पुत्र /पुत्री) के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दुकान नही है।
12. आवेदक इस आशय का भी शपथ पत्र संलग्न करेगें कि उन्हे किसी संगीन अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध ठहराया गया है या नही। चयनित होने के बाद ही आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मूल में जमा करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक के द्वारा (निवास प्रमाण पत्र (प्रखंड/अंचल से निर्गत) की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

14. आवेदक उम्र संबंधी प्रमाण पत्र यथा- मैट्रिक का अंक/मूल प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेगें।

15. आवेदक शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम) तथा कंप्युटर संबंधित शैक्षिणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की स्वअभिप्रामाणित छाया प्रति संलग्न करेगें। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होनी चाहिए।

16. स्वयं सहायता समुह/अन्य समिति आवेदन के साथ इस वित्तीय वर्ष (2025-26) कार्यरत रहने तथा वकाया रहित राशि प्रमाण पत्र (No dues certificate) संबंधित नियंत्रण पदाधिकारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करेगें।

17. अनुमंडल कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की जाँचोपरांत रिक्तिवार मेघा क्रमांक प्रदर्शित की जायेगी तत्पश्चात अनुमंडल स्तर से प्राप्त औपवंधिक मेघा सूची जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से जिला के वेवसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

18. आवेदनों के संबंध में आपत्ति कार्य अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय मे प्राप्त की जायेगी।

19. संबंधित पंचायत/वार्ड में आवेदक का चयन उपरोक्त शर्त्तो के पूरा करने के बाद, सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अधिसूचना के आलोक में किया जायेगा।

20. विहित प्रपत्र का प्रारूप अनुलग्नक की सूची,शपथपत्र का प्रारूप जिला के वेवसाईट (www. madhepura.bih.nic.in) /अनुमंडल कार्यालय/प्रखंड कार्यालय/पंचायत भवन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया गया है, जिसे देखा जा सकता है।

21. आवेदक के द्वारा दिए गये गलत अथवा भ्रामक सूचना के आधार पर चयन होने की स्थिति में उनको दी गई अनुज्ञप्ति को रद्द करने के साथ आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा विधि स्थापित कानून की सुसंगत प्रावधानों के तहत अपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

22. विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी, मधेपुरा का निर्णय अंतिम होगा।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापाक 677/आ0 मधेपुरा, दिनांक 28.7.2026

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा/ सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद /नगर पंचायत, मधेपुरा जिला/ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने-अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपरोक्त विज्ञापन प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि- आई0टी0 प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं prd bihar तथा सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इस आदेश का प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपरोक्त विज्ञापन प्रदर्शित किया जाय।

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सचूनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/07/26

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

अनुसूची – 1

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ –**
   - (क) नाम
   - (ख) पिता/पति का नाम
   - (ग) शैक्षणिक योग्यता
   - (घ) उम्र
   - (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता
     (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई–मेल पता के साथ)
   - (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (ङ) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला
3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?

12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?

13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद्द्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

" बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची – 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....
एवं कार्यालय का पता

1. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ**
   - (क) नाम एवं प्रकार :
   - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
     (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   - (ग) कार्यालय का पता :
   - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   - (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
     (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-**
3. **महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-**
   - (क) नाम :
   - (ख) पिता/पति का नाम :
   - (ग) स्थायी पता :
   - (घ) पत्राचार का पता :
   - (ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
     ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. **व्यवसाय स्थल का विवरण :-**
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (ड़) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला :
   - (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें

8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :—

(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं .... एतद्द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक.......................... को पारित प्रस्ताव संख्या.................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि ....की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है ।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर	आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम	सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम

पावती रसीद

अनुमंडल कार्यालय ....

जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन की पावती रसीद

1 प्रखंड/नगर निकाय का नाम :-...

2 पंचायत का नाम :-................................ वार्ड नं0.........................

3. वार्ड नं0 (शहरी क्षेत्र के लिए) :-..................................

4 आवेदक/आवेदिका का नाम :-...

आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज जॉच पत्रक

(हाँ/नहीं अंकित करें)

(i) आवेदक/आवेदिका आवेदन पत्र- पूर्णत भरा हुआ है या नही ? :-

(ii) फोटो रंगीन- 03 प्रति पासपोर्ट साईज संलग्न है या नहीं ? :-

(iii) निवास प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न है या नहीं ? :-

(iv) जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न है या नहीं ? :-

(v) कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र मूल में संलग्न है या नहीं? :-

(vi) आवेदन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता(मैट्रिक/इंटर/स्नातक/स्नोत्तोकत्तर) क्या है, अंकित करें :-

(vii) आवेदन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया है या नहीं ? :-

(viii) उम्र संबंधी प्रमाण पत्र (मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र) संलग्न है या नहीं :-

(ix) शपथ पत्र मूल में संलग्न है या नहीं ? :-

(x) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश,2016 की कंडिका-11 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) के संदर्भ में शपथ पत्र है या नहीं? :-

(xi) दुकान किराया का है तो किरायानामा की सत्यापित प्रति संलग्न है या नहीं? :-

(xii) व्यवसाय स्थल हेतु जमीन का कागजात संलग्न किया है या नही? :-

(xiii) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं ? :-

(xiv) अनियोजन प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं ? :-

(xv) आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न है या नहीं ? :-

(xiv) आवेदन किस कोटि के लिए किया गया है, अंकित है या नहीं ? :-

प्राप्तकर्त्ता का पूर्ण हस्ताक्षर

एवं पदनाम/तिथि